

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाशचन्द्र
किस्म मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम

बनाम

विपक्षी : श्री राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर
पत्रावली संख्या : 12/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अतः विपक्षी का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दरतावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पूर्व में बिलानाम राज्य सरकार भूमि, पश्चिम में बिलानाम राज्य सरकार भूमि, उत्तर में बिलानाम राज्य सरकार भूमि, दक्षिण में बिलानाम राज्य सरकार भूमि है। उपरोक्त चारों दिशाओं में बिलानाम राज्य सरकार भूमि एवं प्रार्थीगणों की जमीन के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन नहीं होने से प्रार्थीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है प्रार्थीगण अपनी सीमा के अन्दर पुख्ता कोट नहीं बना पा रहे हैं जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरडौदा पटवार हल्का बरोडिया, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 280 की आराजी न. 2370 रकबा 1.0800 है। भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावे। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

